रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936
No. 143] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सं. 1/2015-सीमा शुल्क (एसजी)

सा.का.नि.189(अ).—जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 17 00 अथवा उपशीर्ष 3823 70 के अंतर्गत आने वाले "एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी 8, सी 10, सी 12, सी 14,सी 16 और सी 18 की लंबाई के कार्बन श्रृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजीमर्म शामिल नहीं है) जिसमें, सी 12-सी 14, सी12-सी 16, सी 12-सी 18, सी 16-18 और सी 14-सी 16 कार्बन श्रृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं (सामान्यत: सी 12-सी 14 के रूप में प्रवर्गीकृत) अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों" (जिसके इसके पश्चात विषयगत वस्तु कहा गया है) के आयात के मामले में, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अपने प्रारंभिक परिणाम, जोकि दिनांक 26 मई, 2014 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 26 मई, 2014 को सा.का. नि. सं. 357(अ), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त वस्तुओं के भारत में बढ़े हुए आयात के कारण इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को गंभीर संकट पहुंचा है और संकट पहुंचने की आशंका है जिससे विषयगत वस्तुओं के भारत में आयात किए जाने पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है;

और जबकि, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 28 अगस्त, 2014 को सा. का.नि. सं. 623(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 03/2014-सीमा शुल्क(एसजी) के अंतर्गत भारत में विषयगत वस्तुओं के आयात पर 28 अगस्त, 2014 से दो सौ दिन की अवधि के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगा दिया है;

और जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 9 अक्तूबर, 2014 को सा.का.नि. संख्या 712(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 17 00 अथवा उपशीर्ष 3823 70 के अंतर्गत आने वाली शुद्ध सी-8 की कार्बन चेन लैंग्थ वाली अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों को छोड़कर विषयगत वस्तु पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की तारीख से दो वर्ष छ: माह तक की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अब अत: सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान तथा मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, महानिदेशक (रक्षोपाय) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 17 00 अथवा उपशीर्ष 3823 70 के अंतर्गत आने वाली शुद्ध सी-8 की कार्बन चेन लैंग्थ वाली अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों को छोड़कर विषयगत वस्तु के भारत में आयात किए जाने पर निम्नलिखित दर पर रक्षोपाय शुल्क लगाती है, अर्थात्-

(क) 28 अगस्त, 2014 से 27 अगस्त, 2015 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर यथा मूल्य का 20 प्रतिशत;

(ख) 28 अगस्त, 2015 से 27 अगस्त, 2016 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर यथा मूल्य का 18 प्रतिशत ; और

(ग) 28 अगस्त, 2016 से 27 फरवरी, 2017 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान आयात किए जाने पर यथा मूल्य का 12 प्रतिशत।

(2) इस अधिसूचना की कोई भी बात, मलेशिया, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के अलावा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से शुद्ध सी-8 की कार्बन चेन लैंग्थ वाली अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों को छोड़कर विषयगत वस्तु के आयात पर लागू नहीं होगी।

(3) इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाये गये रक्षोपयाय शुल्क का अधिग्रहण , अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात् 28 अगस्त, 2014 से किया जाएगा तथा भारतीय मुद्रा में देय होगा।

[फा. सं.354/108/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

No. 1/2015-Customs (SG)

G.S.R.189 (E).—Whereas, in the matter of import of "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16 and C18 including single, blends and unblended (not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14)" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2905 17 00 or sub-heading 3823 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General (Safeguard), in his preliminary findings, published *vide* number G.S.R. 357(E), dated the 26th May, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th May, 2014, had come to the conclusion that increased imports of subject goods into India has caused and threatened to cause further serious injury to the domestic producers of subject goods, thereby necessitating the imposition of provisional safeguard duty on imports of the subject goods into India;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Director General (Safeguard), the Central Government had imposed provisional safeguard duty on import of the subject goods into India for a period of two hundred days from 28th August, 2014 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2014-Customs (SG), dated the 28th August, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 623(E), dated the 28th August, 2014;

And, whereas, the Director General (Safeguard) in its final findings *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 9th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), has recommended imposition of safeguard duty on subject goods excluding Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of pure C8, falling under tariff item 2905 17 00 or sub-heading 3823 70 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, for a period of two years and six months from the date of levy of provisional safeguard duty;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, read with rules 12, 14 and 17 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the said final findings of the Director General (Safeguard), hereby imposes on subject goods excluding Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of pure C8, falling under tariff item 2905 17 00 or sub-heading 3823 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the following rate, namely:-

(a) twenty per cent. *ad valorem* when imported during the period from 28th August, 2014 to 27th August, 2015 (both days inclusive);

(b) eighteen per cent. *ad valorem*, when imported during the period from 28th August, 2015 to 27th August, 2016 (both days inclusive); and

(c) twelve per cent. *ad valorem*, when imported during the period from 28th August, 2016 to 27th February, 2017 (both days inclusive).

2. Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods excluding Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of pure C8, from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the Customs Tariff Act, other than Malaysia, Thailand and Indonesia.

3. The safeguard duty imposed under this notification shall be levied with the effect from the date of the imposition of provisional safeguard duty, that is, the 28th August, 2014, and shall be payable in Indian currency.

[F.No. 354/108/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 मार्च, 2015

सं. 07/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.190(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "शीट ग्लास" (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 70 के अंतर्गत आती हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 19 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/22/2013-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत माल का, भारत को निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिससे विषयगत वस्तुओं का पाटन हुआ है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत माल के पाटन आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

और विषयगत देश से आयातित विषयगत माल पर नीचे निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (i) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम

(7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	70042011 या 70042019	शीट ग्लास	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	63	मी. टन	अमरीकी डालर
2	70042011 या 70042019	शीट ग्लास	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	63	मी. टन	अमरीकी डालर
3	70042011 या 70042019	शीट ग्लास	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	63	मी. टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) और इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/15/2014-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

No. 07/2015-Customs (ADD)

G.S.R.190(E).–Whereas in the matter of "Sheet Glass" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/22/2013-DGAD, dated the 19th December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th December, 2014, had come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value, thus resulting in dumping of the subject goods;

(ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods from the subject country;

And whereas, the designated authority has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producer as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporter as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff item**	**Description of goods**	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer**	**Exporter**	**Amount**	**Unit**	**Currency**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
1	7004 20 11 or 7004 20 19	Sheet Glass	China PR	China PR	Any	Any	63	MT	US Dollar
2	7004 20 11 or 7004 20 19	Sheet Glass	Any	China PR	Any	Any	63	MT	US Dollar
3	7004 20 11 or 7004 20 19	Sheet Glass	China PR	Any	Any	Any	63	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/15/2014 –TRU]

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.